राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

सं प.11(3)न्याय/02 पार्ट जयपुर, दिनांकः 08.06.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 में संशोधन.- राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "2008 के नियमों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1970" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 6 में संशोधन.- 2008 के नियमों के नियम 6 के उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1970 के नियम 12" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 20" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

8/6/22

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. F.11(3)Nyay/02 Pt. **Jaipur, Date** 08.06.2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Amendment in Rule 4.- In Rule 4 of the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008, hereinafter referred to as "Rules of 2008", the existing expression "Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1970" shall be substituted by the expression "Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013".

3. Amendment in Rule 6.- In the explanation to the sub-rule (2) of Rule 6 of the Rules of 2008, the existing expression "Rule 12 of Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1970" shall be substituted by the expression "Rule 20 of Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013".

By Order and in the name of the Governor,

8/6/22

(Ankit Raman)
Joint Secretary to the Government.